दिनांक: 03-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नगर निकाय चुनाव में फर्जी वोट डलवाने हेतु फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी

- कुल 55 फर्जी आधार कार्ड
- 02 प्रिन्टर
- 1820/- रूपये नकद
- 01 लैपटाप
- 01 मोनीटर (स्क्रीन)
- 01 CPU
- 01 कीबोर्ड व 02 माऊस
- 16 पोसपोर्ट साईज फोटो
- 15 खाली शीट

अवगत कराना है कि आगामी नगर निकाय चुनाव-2023 में फर्जी मतदान की आशंका के चलते जनपदीय पुलिस को कुछ फर्जी आधार कार्ड मिले थे जिनमें एक ही महिला का फोटो लगाकर अलग-अलग पते पर आधार कार्ड तैयार किए गए थे। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार मु0अ0सं0 188/2023 धारा 419/420/467/171F भादवि0 और थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 267/23 धारा 420/467/468 भादवि0 दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02/05/2023 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्तगण 1-शाहजमान पुत्र मौ0 शकील नि0 किला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2-सुभान पुत्र एजाज खान निवासी मटकोटा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को नगर निकया चुनाव में फर्जी वोट डलवाने हेतु फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए देवबन्द डाकखाने के पास से गिरफ्तार किया गया तथा इनके अन्य 02 साथी मौके से भाग गये। उक्त अभियुक्तो के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 267/23 धारा 420/467/468 भा.द.वि पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव-2023 में फर्जी वोट डलवाने हेतु कुछ लोगो के नाम व फोटो आसिफ व भूरा ने हमें दिये थे, जिनसे हमें फर्जी आधार कार्ड तैयार करने थे। एक आधार कार्ड तैयार करने के लिए 1000/- रूपये (एक हजार रूपये) तय हुए थे। ये आधार कार्ड उन व्यक्तियो के थे जो या तो मर चुके हैं या देवबन्द से बाहर हैं, जो नगर निकाय चुनाव- 2023 में वोट डालने नही आ सकते हैं। उनके आधार कार्ड पर हम फोटोशॉप साफ्टवेयर से दूसरे व्यक्ति का नाम/पता व फोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहे थे। हम दोनो 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं। हम अभी तक कुल 150 के करीब फर्जी आधार कार्ड बना चुके हैं।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो का नाम व पता-

(1) शाहजमान पुत्र मौ0 शकील नि0 किला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(2) सुभान पुत्र एजाज खान निवासी मटकोटा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

फरार अभियुक्तो का नाम व पता-

(1) आसिफ निवासी मौहल्ला मटकोटा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

2) भूरा पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात

बरामदगी का विवरण

- 02 प्रिन्टर EPSON कम्पनी के
- 10 प्रिन्ट किये गये पेज, जिन पर 50 आधार कार्ड छपे है
- 03 आधार कार्ड
- 02 आधार कार्ड लैमिनेशन शुदा
- 1820/- रूपये नकद
- 01 DELL कम्पनी का लैपटाप (सिल्वर रंग का)
- 01 मोनीटर MSI कम्पनी का
- 01 CPU WIPRO कम्पनी का
- 01 कीबोर्ड तथा 02 माऊस DELL कम्पनी
- 16 पोसपोर्ट साईज फोटो
- 15 खाली शीट

अभियुक्त शाहजमान का आपराधिक इतिहास-

(1) मु0अ0सं0 267/23 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0 188/2023 धारा 419/420/467/171F भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर

अभियुक्त सुभान का आपराधिक इतिहास-

(1) मु0अ0सं0 267/23 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0 188/2023 धारा 419/420/467/171F भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

2- अतिरिक्त निरीक्षक सिराजुद्दीन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

3- व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

4- उ0नि0 नरेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

5- कम्प्यूटर आपरेटर नीरज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

6- है0कां0 680 भूपेन्द्र कुमार व कां0 1254 सूरज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वाँछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दो सरिये बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/23 धारा 147/148/352/504/506/323/324/307 भा0द0वि0 में वाँछित अभियुक्तगण **1.कुर्बान पुत्र यामीन नि0 ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.उस्मान पुत्र फुरकान नि0 ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशादेही से दो सरिये (घटना में प्रयुक्त) बरामद किए गए। अभियुक्तगण का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगणो ने पूछने पर बताया कि साहब दिनाक 01/05/2023 को हमारे घर मे घुसकर हमारे ही गांव के रहने वाले बिल्लू उर्फ शाहनवाज व नवाजिस व उसके परिवारीजनो ने हमारे परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमे हमारे परिवार के फुरकान पुत्र यामीन व फरमान पुत्र फुरकान के काफी गम्भीर चोट आयी थी जिस कारण हम लोगो को काफी गुस्सा आ गया था और हम लोगो ने इम्तियाज पुत्र कल्लन उर्फ मुन्तियाज व शमशाद पुत्र कल्लन उर्फ मुन्तियाज के साथ भूरे प्रधान के निर्माणधीन मकान के सामने सरियो व लाठी डन्डो से मारपीट कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. कुर्बान पुत्र यामीन नि0 ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उस्मान पुत्र फुरकान नि0 ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 सरिये (घटना मे प्रयुक्त)

अभि0 कोगिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 1438 प्रदीप कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित चल रहे 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे आगामी निकाय चुनाव-2023 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.05.2023 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/23 धारा 506/392 आईपीसी में वांछित चल रहे अभियुक्त शोएब पुत्र ताहिर निवासी जलालपुर-2 थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा को कल्पना तिराहे से अम्बाला पुल की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1,500 रुपये नगद बरामद हुए है। । अभियुक्त शोएब एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त शोएब उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 124/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त शोएब उपरोक्त को उक्त दोनो अभियोगो में चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै अपने साथियो के साथ मिलकर चोरी या लूट जैसे अपराध कारित करता हूँ तथा चोरी या लूट करते समय लोगो को डराने धमकाने के लिए मै ये तमंचा अपने पास रखता हूँ। दिनाँक 09.03.2023 को सुबह के समय मैने व मेरे अन्य साथी 1. आमिर पुत्र नाजिम निवासी जलालपुर थाना सिनौली जनपद पानीपत हरियाणा 2. सूरज पुत्र अरविन्द निवासी लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 3. जावेद पुत्र अलमदीन निवासी जलालपुर थाना सिनौली जनपद पानीपत हरियाणा हम चारो ने मिलकर अम्बाला पुल के पास लेवर कालोनी पुलिस चौकी के सामने नाला पटरी पर एक मोटरसाईकिल पर जा रहे व्यक्ति से तमन्चा दिखाकर डरा धमकाकर उससे पैसे के दो थैले छीन लिये थे। लूट मे हमे जो रुपये के सिक्के मिले थे उन्हे हमने अलग -अलग रास्तो पर स्थित दुकानदारो को थोडे थोडे देकर उनसे बडे रुपये के नोट ले लिये थे तथा उन्हे हम चारो ने आपस मे बाँट लिये थे। आज जो हमसे मोटरसाईकिल व रुपये बरामद हुए है ये पैसे उसी लूट की घटना मे मिले रुपयो मे से बचे हुए रुपये है तथा यह वही मोटरसाईकिल है जिससे हमने दिनांक 09.03.2023 को नाला पटरी से लूट की घटना की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शोएब पुत्र ताहिर निवासी जलालपुर-2, थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 HR04C2599 मु0अ0सं0 64/23 धारा 411/506/392 आईपीसी
2. लूटे गये 1,500 रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 64/23 धारा 411/506/392 आईपीसी
3. घटना में प्रयुक्त एक नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0 124/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 64/23 धारा 411/506/392 आईपीसी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 124/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 660 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 949 विकास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1978 अजीत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 45 सुमित थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

प्रेस नोट दिनांक 03.05.2023

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 28 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशा तस्करी पर रोक लगाने के हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 03.05.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त सत्यम पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम गुड़म नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को 28 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 83/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. सत्यम पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम गुड़म नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामद माल का विवरण –

1. 28 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि 0श्री करन नागर थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. का 2176 0श्यामपाल थाना फतेहपुर सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 03.05.2023

सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी पहचान पत्र के द्वारा मतदान करने वालों एवं फर्जी मतदान की सूचना के सम्बन्ध में

विज्ञप्ति

दिनांक 04.05.2023 को जनपद सहारनपुर नगर निकाय चुनाव-2023 को सकुशल सम्पन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में फर्जी पहचान पत्र के द्वारा मतदान करने वाले तथा फर्जी मतदान को रोकने हेतु निम्न नम्बरों पर सूचना दे सकते है-

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर -9454400308
- पुलिस अधीक्षक नगर -9454401116
- पुलिस आपातकालीन सेवा -112

यदि पुलिस जांच में सूचना सही पायी जाती है तो अभियुक्तो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर कठोर कार्यवाही की जायेगी। फर्जी मतदान की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखते हुए सहारनपुर पुलिस द्वारा 5,000/- रूपये का नकद पुरस्कार भी दिया जायेगा।

प्रेस नोट दिनांक 03.05.2023

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जिला बदर अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर के नेतृत्व मे दिनांक 03.05.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त **वजीर पुत्र नजीर नि0 ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर उम्र करीब 32 वर्ष वाद संख्या 1920/2023 कंम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202309600001920 को गिरफ्तार किया गया।** अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. वजीर पुत्र नजीर नि0 ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

अपराधिक इतिहास एच0एस0 91ए वजीर पुत्र नजीर नि0 ग्राम गन्देवड़ा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

1. मु0अ0सं0 210/2012 धारा 3,5,8 गौवध निवा0 अधि0 व 11डी पशु क्रूरता अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद स0पुर
2. मु0अ0सं0 282/2014 धारा 3,5क,8 सीएस एक्ट व 11घ पशु क्रूरता अधि0, व 467,468 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद स0पुर
3. मु0अ0सं0 316/2014 धारा 110जी दं0प्र0सं0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 232/2015 धारा 102 दं0प्र0सं0 व 406,411,420 भादवि, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 155/2019 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 237/2019 धारा 3,5क,8 गौवध निवा0 अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद स0पुर
7. मु0अ0सं0 238/2019 धारा 307 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 239/2019 धारा 41/102 दं0प्र0सं0 व 414 भादवि, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 241/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 478/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 360/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 170/2021 धारा 3,5 गौवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 379 भादवि, थाना कोतवाली देहात, जनपद स0पुर
13. मु0अ0सं0 138/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि0, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 208/2022 धारा 3,5,8 गौ0 संरक्षण अधि0 (उत्तराखण्ड(, थाना बसन्त विहार, जनपद देहरादून
15. मु0अ0सं0 267/2022 धारा 3,5,8 गौ0 संरक्षण अधि0 (उत्तराखण्ड(, थाना बसन्त विहार, जनपद देहरादून
16. मु0अ0सं0 270/2022 धारा 3,5,8 गौ0 संरक्षण अधि0 (उत्तराखण्ड(, थाना बसन्त विहार, जनपद देहरादून
17. मु0अ0सं0 46/2023 धारा 307,482,483 भादवि व 3,5,8 गौवध संरक्षण अधि0(उत्तरखण्ड(, थाना पटेलनगर, जनपद देहरादून
18. मु0अ0सं0 84/2023 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार थाना फतेहपुर स0पुर
2. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 2296 लोकेन्द्र राठौर थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांकः 03-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 600 ग्राम नशीली गोली सहित 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग के दौरान पाण्डौली फाटक से दो अभियुक्तगण 1.शुभम उर्फ अक्षय पुत्र ब्रजेश निवासी काजीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर 2.इस्माईल पुत्र महबूब निवासी अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी से अभियुक्तगणो के कब्जे से 300-300 नशीली गोली बरामद हुयी। बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 124/23 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम शुभाम उर्फ अक्षय व मु0अ0सं0 125/23 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम इस्माईल पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगणो से पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम नशे का सेवन करते है। आज भी हम लोगो ने यह गोलिया बाहर से खरीदकर अपने लिये लेकर आये थे। आपके द्वारा हम लोगो को पकड लिया गया। यह हमारा पहला अपराध है। इससे पहले हम लोगो द्वारा कोई अपराध नही किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शुभम उर्फ अक्षय पुत्र ब्रजेश निवासी काजीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. इस्माईल पुत्र महबूब निवासी अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 महेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 2052 रोहित सैन थाना नांगल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-निल

600 नशीली गोली बरामद

प्रेस नोट दिनाक 03.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की रोकथाम व शराब तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सोनू पुत्र स्व मामचन्द निवासी ग्राम शेरपुर पीलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को 12 बोतल देशी शऱाब हरियाणा मार्का के साथ घोडो पीपली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बंध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 70/23 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

अभियुक्त सोनू पुत्र स्व मामचन्द निवासी ग्राम शेरपुर पीलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 राजकुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 837 नीटू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1034 रविन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति दि0-03.05.2023

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का संश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 31.05.2019 को वादी थाना को0नगर जनपद सहारनपुर की पुत्री के साथ अभियुक्त सुमित चुग पुत्र सुरेन्द्र कुमार चुग नि0 भारत माता चैक थाना कोतवाली नगर द्वारा वादी की लडकी का बुरी नीयत से पीछा करना व अश्लील हरकत करने की सूचना पर मु0अ0स0 151/2019 धारा 354घ, भादवि व 9एम/10 पोक्सों एक्ट में थाना को0नगर पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 208/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14 स0पुर में विचाराधीन था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी प्रथम के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 03.05.2023 को अभियुक्त सुमित चुग पुत्र सुरेन्द्र कुमार चुग जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0 151/2019 धारा 354घ, भादवि व 9एम/10 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का संश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता श्री मेघराज सिंह मोबाइल नंबर 9897647390, विवेचक निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार व पैरोकार आरक्षी 1360 रजनीश तोमर मोबाइल नंबर 8433162547 का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।